भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

******

दिनांक: 13 अक्टूबर, 2016

<u>जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना</u>

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" (एसएनएफ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

संख्या **14/15/2016-डीजीएडी**: मै. हिमाद्रि स्पेशियलिटी कैमिकल लि. (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष निर्यातित "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" (एसएनएफ) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। संबंधित देश चीन जन. गण. है। उपर्युक्त देश को संबद्ध देश भी कहा गया है।

2. और यत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्द्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा

सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

<u>घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति</u>

3. यह याचिका मै. हिमाद्रि स्पेशियलिटी कैमिकल लि. द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं जो एसएनएफ का उत्पादन करते हैं अर्थात मेंगलोर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ), एलआरएसी स्पेशियलिटि कैमिकल्स प्रा. लि., गुजरात पालीबेंड्स प्रा. लि., गुजरात पालीसोल कैमिकल्स प्रा. लि., एचआर जोनसन (इंडिया)। मेंगलोर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ) ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है और याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

4. प्राधिकारी मानते हैं कि समर्थक घरेलू उत्पादक के साथ याचिकाकर्ता संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. विचाराधीन उत्पाद निर्यातित "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" (एसएनएफ) है।

6. "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" नेप्थलीन का व्युत्पन्न उत्पाद है। "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" (एसएनएफ) कंडेनसेट का प्रयोग कंक्रीट के लिए निर्माण उद्योग में वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग रबड़ रसायनों,जिप्सम उद्योगों और विशेष कृषि-रसायन उद्योगों के लिए डिस्पर्सेंट के रूप में भी किया जहाता है। एसएनएफ नेप्थलीन के सल्फोनेशन और कास्टिक सोडा द्वारा प्रक्रिया को निष्क्रिय करने बनाया जाता है। यह 100 प्रतिशत पाउडर रूप में और द्रव रूप में 40-45 प्रतिशत ठोस मात्रा की रेंज में उत्पादित किया जाता है।

7. "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" का प्रयोग कंक्रीट एडमिक्सर, के उत्पादन, टैनिंग उद्योग, चमड़ा सहायक सामग्री, वस्त्र अनुषंगी, वैट डाइज, सुपीरियर गुणवत्ता की डिस्पर्स डाइज, कृषि डिस्पर्सेंट विनिमर्तियों, रबड़ और लेटेक्स इमल्सन में किया जाता है।

8. "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड" को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 3824 40 90 के अधीन अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और और प्रस्तावित जॉच और प्रस्तावित उपायों के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीन जन. गण.(जिसे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमल्डिहाइड (एसएनएफ) के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

चीन

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के संबंध में नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के

उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

<u>निर्यात कीमत</u>

12. आवेदक द्वारा कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण एक गौण स्रोत आईबीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है और समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरर्देशीय भाड़े, बैंक प्रभार, कमीशन और वैट समायोजनों साक्ष्य और आधार प्रदान किए गए हैं।

<u>पाटन मार्जिन</u>

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देश द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

<u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

14. याचिकाकर्ता ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बढी हुई मात्रा, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह के अनुसार प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

<u>जांच अवधि (पीओआई)</u>

15. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि अप्रैल 2015 – मार्च 2016 (12 महीनों) की है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 12 से मार्च 13, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015, और जांच अवधि को शामिल करने पर विचार और उसका प्रस्ताव किया गया है।

<u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है-:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>समय-सीमा</u>

18. वर्तमान जॉंच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

<u>अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची , पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पॉच (5)प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

<u>असहयोग</u>

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला
अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी